कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री रिंकू इलेक्ट्रिकल्स वर्कशाप, हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज कम्पाउन्ड भूड, बुलन्दशहर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**020 / 15, 28.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जी0 के0 शाह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री रिंकू इलेक्ट्रिकल्स वर्कशाप, हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज कम्पाउन्ड भूड, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 28.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत में ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग होने के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल पर कर की दर क्या होगी।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री जी0 के0 शाह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद के पत्र संख्या-469, दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में व्यापारी का कथन है कि ट्रांसफार्मर एवं उनके पार्ट्स पर 5% की दर से करदेयता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग ट्रासफार्मर में होने से करदेयता नहीं बदल जाती है। मेरे विचार से ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर पार्ट्स नहीं है। यह सही है कि ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल आवश्यक है परन्तु इसे ट्रांसफार्मर पार्ट्स नहीं कहा जा सकता है। जैसे मोटर वाहनों के परिचालन के लिए इंजन ऑयल तथा कूलैण्ट की आवश्यकता होती है किन्तु इन्हें मोटर पार्ट्स नहीं माना जाता है। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग होता है। किन्तु इसे ट्रांसफार्मर पार्ट्स नहीं कहा जा सकता है। ट्रांसफार्मर की बिक्री करते समय भी इनकी बिक्री बिना ट्रांसफार्मर ऑयल के ही होती है। अत: ट्रांसफार्मर ऑयल को ट्रांसफार्मर पार्ट्स नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 एवं नियमावली के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर ऑयल विज्ञापित नहीं है। अत: ट्रांसफार्मर ऑयल पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + 1.5% सैट सहित=14% की दर से करदेयता बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-126 की प्रविष्टि निम्नवत है :-

'' Transformer and transformer parts ''

इस प्रकार ट्रांसफार्मर एवं उनके पार्ट्स इस प्रविष्टि से आच्छादित हैं। जहॉ तक ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर ऑयल किसी भी प्रकार ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है एवं तदनुसार इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में

....2

प्रश्नगत बिन्दु पूर्व में सर्वश्री मोहन इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेन्ट, मोहन कंकरीट, मोहन होटल, चारबाग, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र संख्या-162 / 2008 में दिये गये निर्णय दिनांक 08.07.2008 में निर्णीत किया जा चुका है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, न्यायिक निर्णयों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। ट्रांसफार्मर की मरम्मत में प्रयुक्त होने वाला ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I से IV तक वर्गीकृत न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भॉति की 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

ह0 / 04.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।